

कार्य की प्रतिकृति प्राप्त	26/11/16	Date of mading over the copy to the applicant
Date fixed for notifying the requisite number of stamps and folios for the copy	26/11/16	Date on which the copy was ready for delivery
Date of application for the copy	26/11/16	Date of delivery of the requisite stamp & folios

APPLICATION AVAILABLE  
 130  
 कार्ड नं० 10  
 जायपुर अधिवृत्ती क्षेत्र, जिला पूर्वी सिंहभूम।  
 तोजी रोड

अभिवृत्ती का नाम पिता का नाम जति और निवास	खेरस संख्या	खेत		भूमी का स्वरूप	रकबा ह० आर० स०	अभुक्ति	गैर नगरी लगान वाले होके खाट के सामने बताए कि जरा पर काटका करों ह		सकवाचारी का नाम और उसकी खेवट संख्या सकवाचारी भू-पत्तरी का नाम और उसका खेवट संख्या यदि हो	(1) अधिवृत्ती खेत कर इस्तिफत और कल्ले की अवधि। (2) लगान किरा प्रकार निवत किया गया, आरंभ (प्रारंभिक हो तो विशिष्टिक) (3) कोई विशेष बत और अनुगत बात यदि हो।
		खेरस संख्या	भाहदी				राजस्व पदाधिकरी द्वारा अभिनिश्चित लगान। 1 लगान 2 रोरा	बन्दोबस्त उपरित लगान यदि हो 1 लगान 2 रोरा		
256 वच्चा सिंह आर सिमरत सिंह		3	4	5 सकान मुवा रुक्मरा भोस वार्ड	6 0.01.50 0.15.80	7	8 0.01.2 वार्ड	9	10	
					0.17.30					

वः स्वतः अधिवृत्त क्षेत्रांतर्गत करदातरी अधिवृत्त  
 1908 की धारा 83(2) तथा विहार एवं उड़ीसा  
 शासकीय सर्वेक्षण अधिनियम 1920 की धारा 18(1)  
 के अन्तर्गत सिकर हुआ और एक अधिवृत्त प्रकल्प  
 दिनांक 30.7.1966 को...  
 अंतिम प्रकल्प प्रमाण पत्र दिनांक 0.7.1966/198/  
 को संश्लेषित हुआ

उपरोक्त पदाधिकारी  
 दिनांक

UK 76 68  
 Indian Eas. Act. 1927

20370702  
 इन्डियन एशियन एक्ट 1927  
 अधिनियम